



2026:AHC: 177100

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 96 वर्ष 2026

मोना (बंदी) (कार्पस)

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आलोक रंजन त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 10.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), मोना को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, पुलिस थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह, उप-निरीक्षक श्री राजकुमार, उप-निरीक्षक श्री अंकित मिश्रा, कांस्टेबल श्री निवास कुमार और महिला कांस्टेबल सुश्री शिल्पा द्वारा बंदी (कार्पस) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने खुली अदालत में बंदी (कार्पस), मोना से बातचीत किया। उसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग 20 वर्ष है और वह कक्षा-4 तक शिक्षित है। उसने आगे स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह छोटू नामक व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहती है और अपने वैवाहिक घर में उसके साथ रहना चाहती है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह न तो अवैध निरुद्धि में है और न ही किसी व्यक्ति के किसी प्रकार के दबाव, प्रभाव या अनुचित प्रभाव में है और वह स्वेच्छा से छोटू के साथ रह रही है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, राम खिलावन और उसकी पत्नी से भी बातचीत किया, जो बंदी (कार्पस) के माता-पिता हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, बंदी (कार्पस) के शैक्षिक दस्तावेजों में दर्ज उसकी जन्म तिथि के अनुसार, उसका जन्म 01.08.2011 को हुआ था और, परिणामस्वरूप, वह वर्तमान में केवल लगभग 15 वर्ष की आयु की है। उस आधार पर, उन्होंने प्रार्थना की कि बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा उन्हें सौंपी जाए। उन्होंने आगे कहा कि वे छोटू के साथ बंदी (कार्पस) के कथित विवाह को मान्यता नहीं देते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं।

मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से, यह स्पष्ट है कि बंदी (कार्पस) की जन्म तिथि, जैसा कि उसके शैक्षिक अभिलेख में दर्ज है, 01.08.2011 है। हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर, जिससे थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 137(2) और 61(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 291 वर्ष 2024 उत्पन्न हुआ, के अनुसरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराओं 180 और 183 के अंतर्गत बंदी (कार्पस) का बयान दर्ज किया गया था। उक्त बयान में, बंदी (कार्पस) ने खुलासा किया था कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है क्योंकि उसके पिता उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करना चाहते थे, जो पहले से ही विवाहित था।

अभिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि बंदी (कार्पस) का चिकित्सा-विधिक परीक्षण किया गया था और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर ने रिपोर्ट दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से उसकी आयु लगभग 18 वर्ष आंकी थी। इस प्रकार, पूर्वोक्त रिपोर्ट में दर्ज चिकित्सा राय याचिकाकर्ता के इस दावे का समर्थन नहीं करती है कि सितंबर, 2024 में बंदी (कार्पस) की आयु केवल लगभग 13 वर्ष थी। उक्त चिकित्सा आयु मूल्यांकन के आधार पर, बंदी (कार्पस) वर्तमान में लगभग 20 वर्ष की आयु की होगी।

एक अन्य प्रासंगिक परिस्थिति जो अभिलेख से उभर कर आती है, वह यह है कि बंदी (कार्पस) ने स्वीकार्य रूप से केवल कक्षा-4 तक ही शिक्षा प्राप्त किया है। उसके शैक्षिक अभिलेख में उल्लिखित जन्म तिथि और चिकित्सा-विधिक परीक्षण में आंकी गई आयु के बीच की विसंगति, विवेचना अधिकारियों के समक्ष बंदी (कार्पस) द्वारा दिए गए बयान के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसके स्पष्ट बयान के साथ मिलकर, उसकी वर्तमान अभिरक्षा की प्रकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उसकी हकदारी को निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण हो जाती है।

यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि आयु के प्रश्न के आपराधिक कार्यवाहियों में परिणाम हो सकते हैं और ऐसी कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए आयु का निर्धारण विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है। हालांकि, इस सीमित प्रयोजन के लिए कि क्या बंदी (कार्पस), जो इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, अवैध या गैरकानूनी निरुद्धि में है, यह न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक परिस्थितियों, विशेष रूप से चिकित्सा आयु मूल्यांकन और, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस न्यायालय के समक्ष बंदी (कार्पस) द्वारा दिए गए स्पष्ट और स्वैच्छिक बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

बंदी (कार्पस) ने स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में अपना जीवनसाथी चुनने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त किया है। उसने यह अभिकथन नहीं किया है कि उसे छोड़ या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंधक बनाया गया है, अपहरण किया गया है या बंदी (कार्पस) बनाया गया है। बल्कि, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह स्वेच्छा से उसके साथ रह रही है। इस न्यायालय के समक्ष उसके बयान में किसी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव प्रकट नहीं होता है।

किसी व्यक्ति का जीवनसाथी के चुनाव सहित व्यक्तिगत जीवन के मामलों में एक सुविज्ञ विकल्प चुनने का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है और एक स्वतंत्र और सचेत विकल्प चुनने में सक्षम हो जाता है, तो ऐसी स्वायत्तता संवैधानिक संरक्षण की हकदार होती है। परिवार या कोई अन्य व्यक्ति, केवल ऐसे विकल्प के साथ अपनी असहमति के कारण, किसी वयस्क व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करने या उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार रहने के लिए विवश करने का प्रयास नहीं कर सकता है।

वर्तमान वाद में, बंदी (कार्पस) ने स्वेच्छा से छोड़ के साथ रहने की अपनी इच्छा व्यक्त किया है। इस न्यायालय के समक्ष उसका बयान विश्वास प्रेरित करता है और न्यायालय के समक्ष ऐसा सुझाव देने वाली कोई सामग्री नहीं है कि ऐसा विकल्प दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिणाम है। इसलिए, उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिदेश के अनुसार सम्मान किया जाना और उसे संरक्षित किया जाना चाहिए।

पूर्वगामी चर्चा के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि बंदी (कार्पस) किसी व्यक्ति की अवैध निरुद्धि में नहीं है। परिणामस्वरूप, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का कोई वाद नहीं बनता है।

तदनुसार, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **खारिज** की जाती है।

हालांकि, बंदी (कार्पस) के स्पष्ट बयान और उसकी सुरक्षा और भलाई के संबंध में किसी भी आशंका, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि बंदी (कार्पस) को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की जाए और उसे उसकी पसंद के स्थान पर सुरक्षित ले जाया जाए। पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई खतरा, धमकी, दबाव या हस्तक्षेप न करे, जो निश्चित रूप से विधि के अनुसार पक्षकारों को उपलब्ध अधिकारों और उपचारों के अधीन होगा।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

21 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”